रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1654] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 2017/ज्येष्ठ 19, 1939
No. 1654] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 2017/JYAISTHA 19, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2017

का.आ. 1865(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 67 तारीख 10 दिसम्बर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, प्रारूप अधिसूचना अंतर्विष्ट करते हुए राजपत्र की प्रतियां 10 दिसम्बर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, साठ दिन की अवधि विनिर्दिष्ट के भीतर प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पर्णधारियों से प्राप्त कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

और, गागा अभयारण्य गुजरात राज्य के जामनगर जिले के कल्याणपुर तालुक में ग्राम गागा के पास 22°32' उ, 70° 08' पू में स्थित एक अनोखी आर्द्रभूमि पर्यावरण-व्यवस्था है। यह प्रमुख तिमाही भाटिया से 11 किलोमीटर और 22 किलोमीटर दूर है। जामनगर द्वारिका राज्य राजमार्ग पर एक विभाजन से दूर है । अभयारण्य क्षेत्र में 332.87 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। परंतु अभयारण्य दो भागों में स्थित है और बीच में जल अपशिष्ट के विशाल हिस्सों में स्थित है। गागा भाग-1 का क्षेत्र, जो ग्राम के दक्षिण पूर्व दिशा में पड़ता है, एक फ्लैट है जिसमें कोमल ढाल है जो उत्कृष्ट घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करता है। इससे पहले इस क्षेत्र को "विदी" के रूप में प्रबंधित किया गया था, लेकिन क्षेत्र के पारिस्थितिक, भौगोलिक, भौतिकी, पुष्प और गौण महत्व को अभयारण्य के व्यापक सरकारी अधिसूचना संख्या जीवीएन/57/88/डब्ल्यूएलपी-1087/जी-49/वी-2 दिनांक 24-11-88 क्षेत्र 332.87 हेक्टेयर में घोषित किया गया था;

और, वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र 3.33 वर्ग किलोमीटर में फैला है और गुजरात राज्य में देवभूमि द्वारका जिले के कल्याणपुर तालुक में गागा स्थित है;

और, यह क्षेत्र "ओखारी रेगिस्तान क्षेत्र" के भीतर स्थित है और पश्चिमी भाग में टाटा नमक काम है और कच्छ की खाड़ी है जो कई पक्षी प्रजातियों को आकर्षित करती है। वास्तव में सर्दियों के बाद के हिस्सों में नदी और झीलों में पानी नमकीन होता है और इस प्रकार इस

क्षेत्र में कई जलीय और समुद्री पक्षी और वाडर्स आकर्षित होते हैं। प्रवासी क्रेन दोनों डेमोइसल और कॉमन क्रेन सर्दियों में रहती है, खुले मैदान और नमक डालना उनके लिए अच्छा भुनाते हुए मैदान हैं।

गागा अभयारण्य क्षेत्र के महत्व के नीचे दिए गए हैं-:

- यह जैव-विविधता में बहुत समृद्ध है के साथ 300 एसपीपी. से अधिक कुछ लुप्तप्राय एसपीपी. सहित।
- यह लुप्तप्राय एसपीपी. में निवास करते है जैसे, हुबारा बस्टर्ड और भेड़िया।
- इस क्षेत्र में कई पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी पाए जाते हैं।
- पौधों और चरागाह के लिए आदर्श स्थल जहां कुछ अन्य एसपीपी. स्थानांतरित किए जाते है।
- पारिस्थितिक और अन्य शोध के लिए यह आदर्श अवसर प्रदान करता है।

और, अभयारण्य क्षेत्र में जैसे प्रॉपॉपीज जुलीफ्लोरा, साइपरस और स्केरपस प्रजातियां, टाईफा हाथीतिया, स्पिनफेक्स स्टोलोनिफेरा सल्वाडोरो, कैलोट्रोपिस आदि प्रजातियां पाए गए हैं।

और, इस क्षेत्र में पाए गए क्रेन, एग्रेट्स, पेलिकन, एवोकेटल, हेरोन, हैरियर इत्यादि जैसे पक्षियों की विविधताएं है। मॉनिटर छिपकली, चूहे सांप, रसेल वाइपर, स्किंक इत्यादि जैसे सरीसृपों की विविधता यहां मिली। लकड़बग्घा, भेड़िया, ब्लू बुल, सियार, साही, सामान्य नेवला जैसे विभिन्न स्तनधारिय यहां पाये गए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में गागा वन्यजीव अभयारण्य एकसाथ गठित हैं, की सीमा से 1.0 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को गागा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधीय क्षेत्र 19.43 वर्ग किलोमीटर चौरस के साथ गागा अभयारण्य की सीमा के आसपास एक किलोमीटर तक फैला हुआ है।

(2) गागा अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I क, और I ख** के रूप में दिया गया है ।

(3) अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ इसके मानचित्र का ब्यौरा **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले पांच ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिक बातों को समाकलित करने के लिए राज्य के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास ;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने कृत्यों का पालन करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –**(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के लिए वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और मनोरंजनात्मक प्रयोजनों के लिए अभिनिश्चित खुले स्थानों को मुख्य वाणिज्यिक या मुख्य आवासीय परिसर या औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा या उनके निए क्षेत्रों में संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के कृषि और अन्य भूमि संपरिवर्तन आवासीय आवश्यकता निगरानी समिति स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा और ऐसे क्रियाकलापों के लिए होंगे जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और भी कि सुसंगत राज्य विधियों और राज्य सरकार अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) परंतु यह और भी कि वन जैसे हरित क्षेत्र में पारिणामिक कभी नहीं होगी

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में या उनके निकट विकास क्रियाकलापों जो औसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक है, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार करेगा।

(3) **पर्यटन–** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार आंचलिक महायोजना के लिए होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे :

परंतु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा-संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पर बल के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करेगी तथा आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 उपबंधों के अनुसार कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव (प्रदूषण तथा नियत्रण)अधिनियम, 1974 के उपाबंधों के अनुसार होगा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का) और इसके अधीन किए गए उपाबंधों द्वारा शासित किया जाएगा और सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित किया जाएगा अथार्त -:

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान तथा प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**.- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई साधारण उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन**.- परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और ऐसे समय तक जब तक आंचलिक महायोजना के तैयार होती है और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(15) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर- केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों वर्गीकरण के अनुसार अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
1	2	3
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण का प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	(क) कोई नया उद्योग या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर- प्रदूषित उद्योगों को स्थापना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र सतही में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य जलाए जाने की सुविधा ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है । औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य स्थापनों/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण की सुविधा का अतिरिक्त संस्थापन प्रतिषिद्ध है ।
7.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

ख. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक ही जो भी निकट हो कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं : परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथालागू पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा ।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (ग) और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (घ) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी 2016 में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार श्वेत प्रवर्ग के रुप में माने गए गैर प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित उद्योग जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री का उत्पादन करता है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे ।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी पद्धति के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।

22.	प्राकृतिक जल निकायों सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित/ बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा । अन्यथा लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पॉलिथीन बैग का उपयोग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुज्ञा है। तथापि, विशिष्ट अपेक्षा के आधार पर, इसे लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
29.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर रोशनी आदि को बढ़ावा दिया जाए।
35.	बायोगैस, सौर प्रकाश आदि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कृषि वानिकी ।	
37.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या का जीर्णोद्धार ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति - केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन प्रभाव निगरानी के लिए गठन किया है, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

(1) कलक्टर, जिला देवभूमि द्वारका – अध्यक्ष ;

(2) गुजरात सरकार के पर्यावरण और वन विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य ;

(3) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;

(4) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसे गुजरात सरकार द्वारा (प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए) नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(5) गुजरात राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक/ वन्यजीव/पक्षी के क्षेत्र में प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ – सदस्य;

(6) क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजनाकार – सदस्य;

(7) राज्य जैवविविधता बोर्ड का सदस्य-– सदस्य;

(8) उप वन संरक्षक, जामनगर/देवभूमि द्वारका – सदस्य-सचिव ।

6.निर्देश निबंधन:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 7 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 7 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप में 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

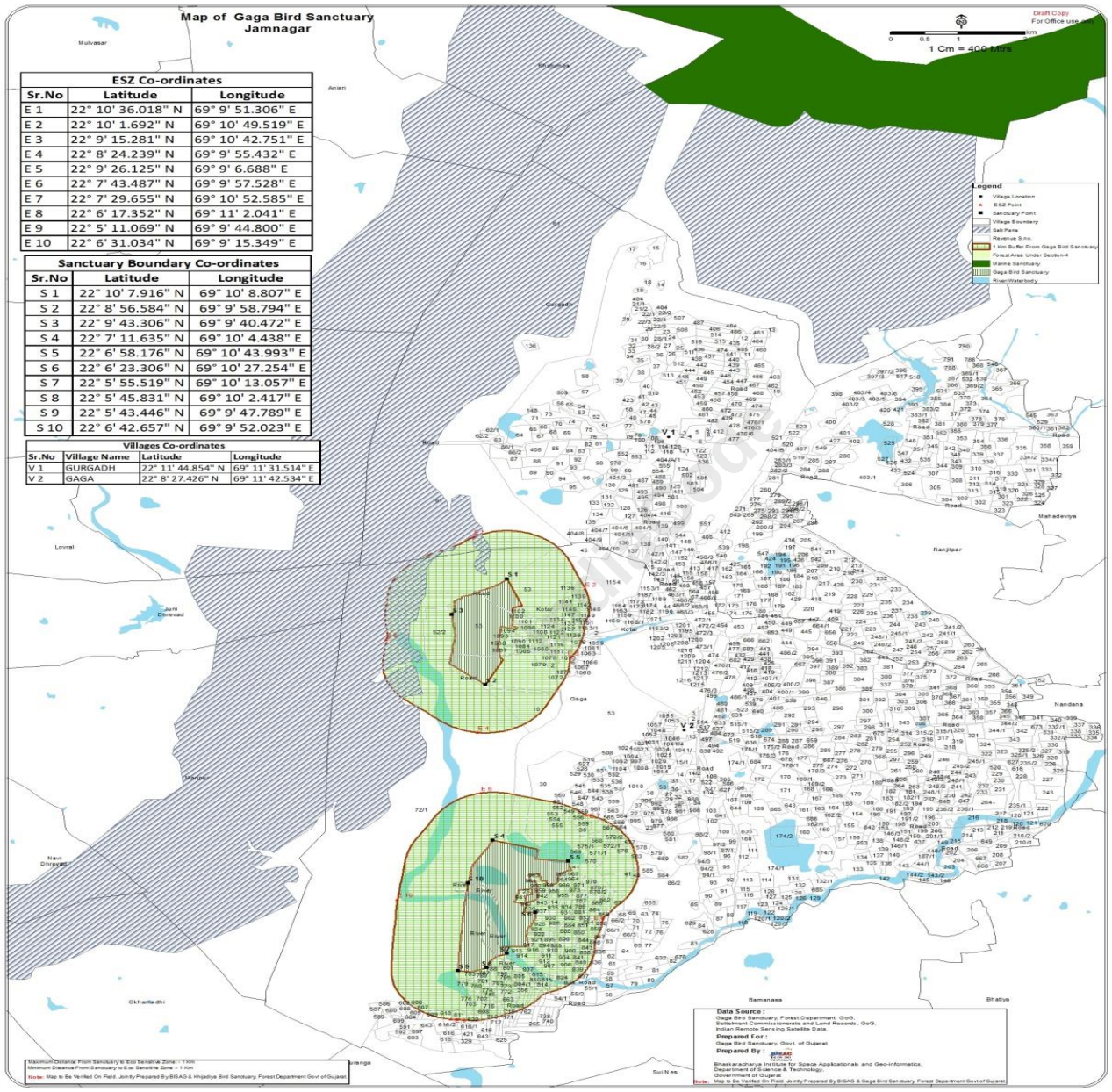
[फा. सं. 25/84/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

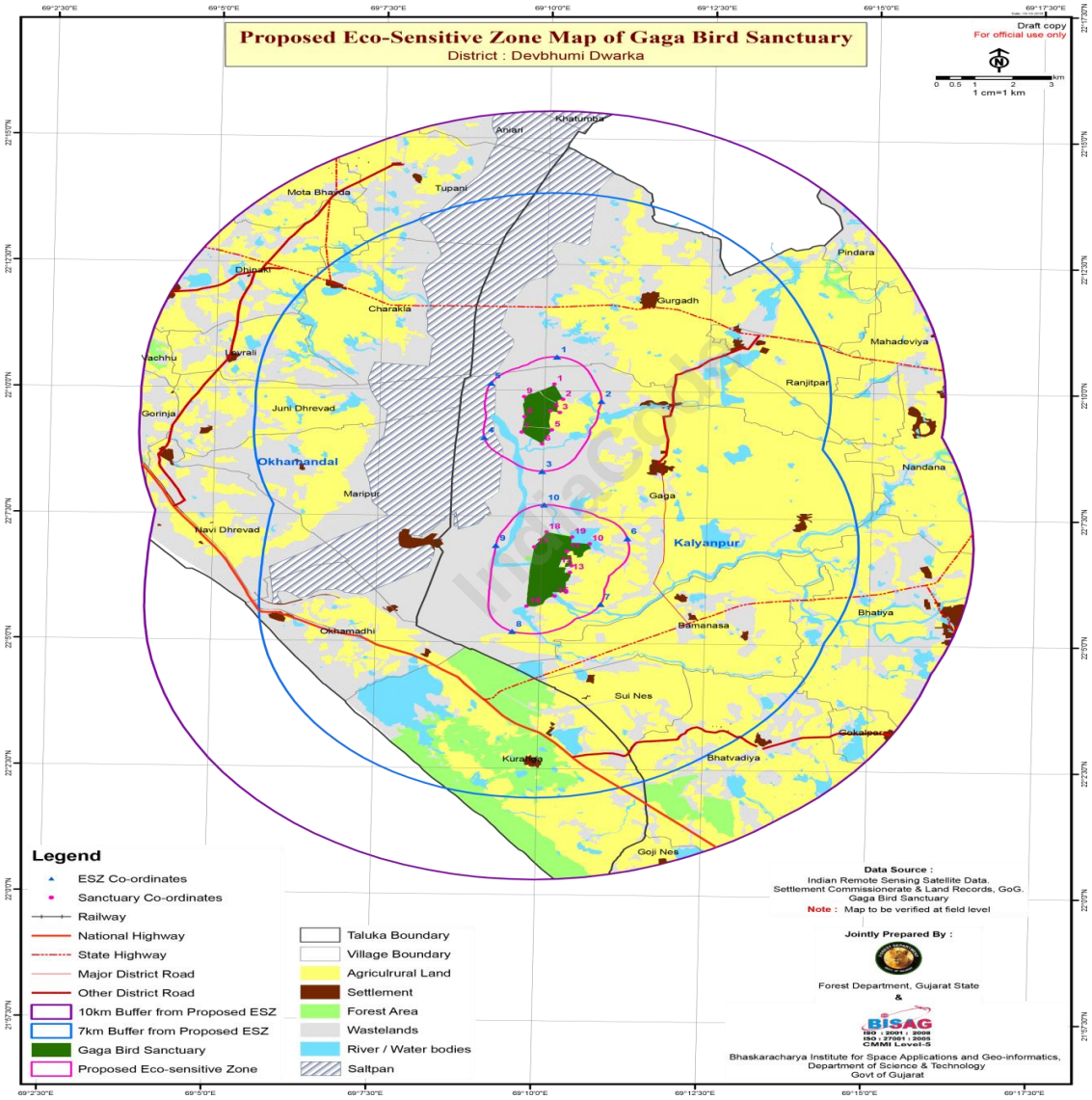
उपाबंध I-क

पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ गागा अभयारण्य का मानचित्र



उपाबंध I-ख

भूमि उपयोग के साथ गागा अभयारण्य का मानचित्र



उपाबंध II

क. गागा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य, गुजरात के भू-निर्देशांक

गागा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य के भू-निर्देशांक		
क्र.सं.	**अक्षांश**	**देशांतर**
एस 1	22° 10' 7.916" उ	69° 10' 8.807" पू
एस 2	22° 8' 56.584" उ	69° 9' 58.794" पू
एस 3	22° 9' 43.306" उ	69° 9' 40.472" पू 4
एस 4	22° 7' 11.635" उ	69° 10' 4.438" पू
एस 5	22° 6' 58.176" उ	69° 10' 43.993" पू
एस 6	22° 6' 23.306" उ	69° 10' 27.254" पू
एस 7	22° 5' 55.519" उ	69° 10' 13.057" पू
एस 8	22° 5' 45.831" उ	69° 10' 2.417" पू
एस 9	22° 5' 43.446" उ	69° 9' 47.789" पू
एस 10	22° 6' 42.657" उ	69° 9' 52.023" पू

ख. गागा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

गागा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांक		
क्र.सं.	**अक्षांश**	**देशांतर**
इ 1	22° 10' 36.018" उ	69° 9' 51.306" पू
इ 2	22° 10' 1.692" उ	69° 10' 49.519" पू
इ 3	22° 9' 15.281" उ	69° 10' 42.751" पू
इ 4	22° 8' 24.239" उ	69° 9' 55.432" पू
इ 5	22° 9' 26.125" उ	69° 9' 6.688" पू
इ 6	22° 7' 43.487" उ	69° 9' 57.528" पू
इ 7	22° 7' 29.655" उ	69° 10' 52.585" पू
इ 8	22° 6' 17.352" उ	69° 11' 2.041" पू
इ 9	22° 5' 11.069" उ	69° 9' 44.800" पू
इ 10	22° 6' 31.034" उ	69° 9' 15.349" पू

IndiaCode

उपाबंध III

गागा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य, गुजरात के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	**ग्राम**	**अक्षांश**	**देशांतर**
1.	**गूरगध**	22° 11'44.85" उ	69° 11'31.51" पू
2.	**गागा**	22° 8' 27.422" उ	69° 11' 42.53" पू

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2017

S.O. 1865(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Past II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 10th December, 2015, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3338 (E), dated the 7th December, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 10th December, 2015;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification within the specified period of sixty of days;

AND WHEREAS, Gaga Sanctuary, a unique wetland eco-system located in 22°32’ N, 70° 08’ E, is situated near village Gaga in Kalyanpur taluka of Jamnagar district, of the State of Gujarat and it is 22 kilometers away from the range head quarter Bhatiya and 11 kilometers away from a bifurcation on Jamnagar Dwarika State highway; the said Sanctuary is having an area of 332.87 hector, however, the Sanctuary is located in two parts and in between and by the side vast stretches of waste lands are situated; the area of Gaga part -1 which falls in south east direction of village is flat having gentle slope which support excellent grass land ecosystem; earlier the area was managed as “vidi” but realising the ecological, geo-morphological, floral and faunal importance of the area it was declared as a Sanctuary, wide Government notification number GVN/57/88/WLP-1087/G-49/V-2 dated the 24th November, 488 and area 332.87 hector;

AND WHEREAS, the afore said Sanctuary is spread over an area of 3.33.square kilometres and situated at Gaga located in Kalyanpur Talukal of Devbhumi DwarkaDistrict) in the State of Gujarat;

AND WHEREAS, the area is situated within the "Okhari desert area" and on the western side lies the Tata salt works and Gulf of Kutch which attracts many birds species, in fact the water in the river and lakes turns salty during later parts of winter and thus many aquatic and marine birds and waders are attracted in this area; The migratory crane both demoiselle and common cranes passes their winter here and open ground and salt pans are good roosting ground for them; the said sanctuary area has high significances indicated below:-

- it is very rich in bio-diversity with more than 300 spp. Including some endangered specied;
- it inhabits endangered spp. like, Houbara bustard and wolf;
- a variety of birds, reptiles and mammals are found in this area;
- ideal site for plants and grassland where some other spp. can be re-located;
- it provides ideal opportunity for ecological and other research;

AND WHEREAS, species like Prosopis juliflora, Cyperus and Scirpus species, Typha elephantia, Spinifex stolonifera Salvadora, Calotropis, etc. are found in the said Sanctuary area.

AND WHEREAS, Varity of birds like Cranes, Egrets, Pelican, Avocet, Heron, Harrier, etc. are found in this area; variety of reptiles like Monitor lizard, Rat Snake, Russell wiper, Skink, etc are found here; variety of mammals like Hyaena, Wolf, Bluebull, Jackal, Porcupine, and Common mongoose are also found here:

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 1.0 kilometer around the boundary of Gaga Sanctuary in the State of Gujarat as the Gaga Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone shall be with a peripheral area of 19.43 square kilometers with an extent upto one kilometer around the boundary of the Gaga Sanctuary.

(2) The boundary description of Gaga Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I,- A and I-B.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II.**

(4) The list of five villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

IndiaCode

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal ;

(x) Panchayati Raj ; and

(xi) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands. within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

IndiaCode

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such an forest and agriculture area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Tourism Master Plan shall be prepared by State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometer from the boundary of the Gaga Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer: Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the said Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts may be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) til the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six months from the date of publication of their note speciation in the official Gazette and such place shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of their note speciation in the official Gazette and such place shall form part the Zonal Master Plan.

IndiaCode

(6) **Noise pollution.-** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the water (prevention and control of pollution) Act, 1974 and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio medical waste management shall be as under:-

(i) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time;

(ii) no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Vehicular pollution**-Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(13) **Plastic waste management:-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(14) Construction and demolition waste management- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(15) E-waste- The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as amended from time to time.

(16) Industrial units.- (i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries may be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. **Prohibited, regulated and promoted activities:-**

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, store quarrying and cashing units	(a) New (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal construction. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	(a). No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b). Only non-polluting industries may be permitted within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste shall permitted within Eco Sensitive Zone and installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment, hospitals, etc. shall be prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, heli-copter, drones, Microlites, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

B. Regulated Activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents: (c) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
14.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law and underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticul-ture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall to be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.

24.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be monitored by the concerned authority.
25.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws
28.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags is permitted within the Eco Sensitive Zone, however, based on specific requirement; it shall be regulated under applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Bio gas, solar light, etc	
36.	Agro of Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-Sensitive Zone, comprising of the following, namely:-

SI. No.	**Constituent of Monitoring Committee**	**Designation**
1	Collector Devbhuni Dwarka district	Chairman;
2	Representative of the Department of Environment and Forests Government of Gujarat	Member;
3	Regional officer State Pollution Control Board	Member;
4	One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of nature conservation to be nominated by the Govt. of Gujarat (fora term of one year in each case)	Member;
5	One expert in Ecology/Wildlife/birds from reputed institution of University of the State of Gujarat to be nominated by the Government of Gujarat (fora term of one year in each case)	Member;
6	Senior Town Planer of area	Member;
7	Member of State Bio-Diversity Board	Member;
8	Deputy Conservator of Forest Jamagar / Devbhumi Dwarka	Member Secretary.

6. **Terms of reference.-**

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 7 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 7 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis..

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma given in (**Annexure IV**).

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

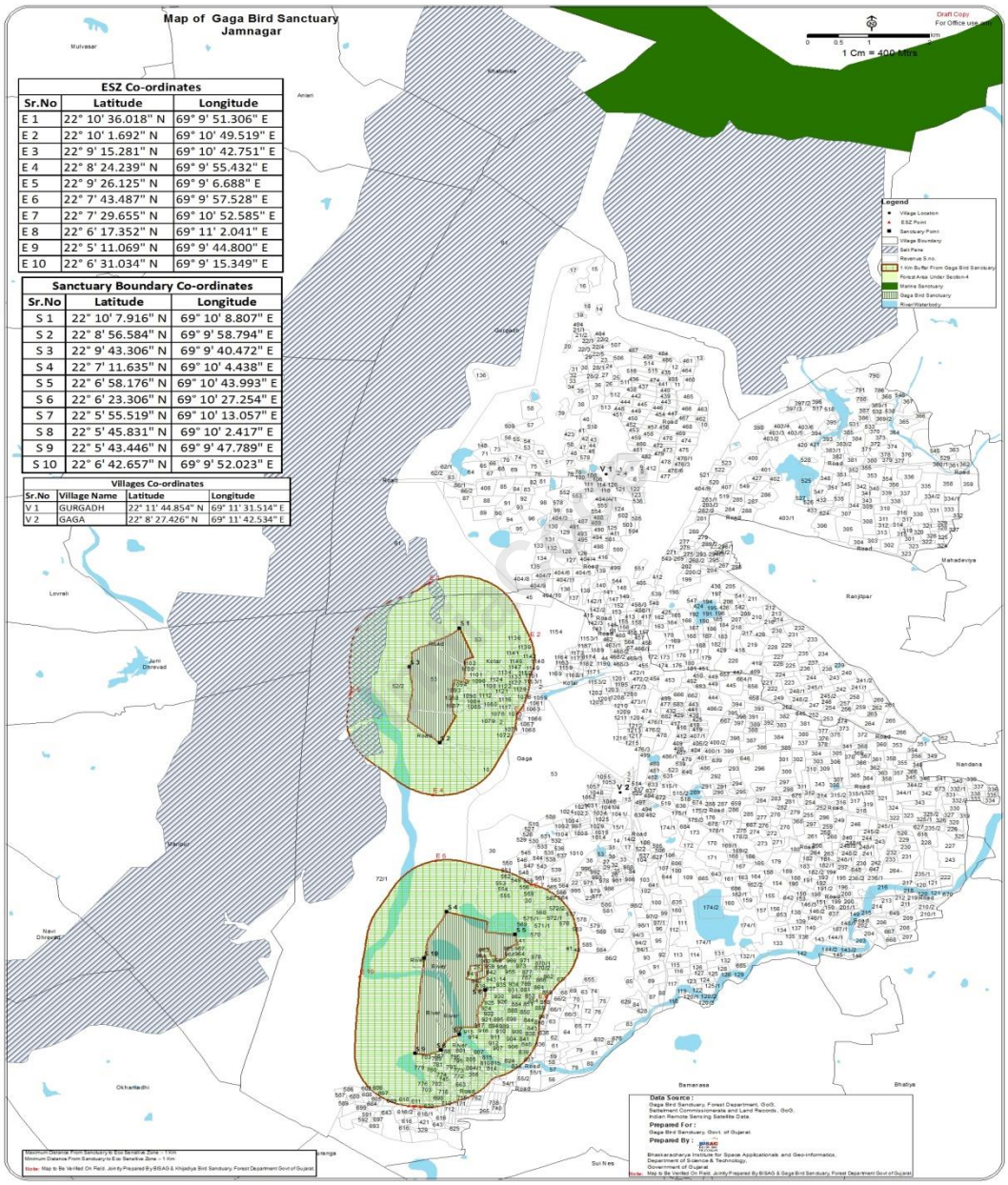
[F. No. 25/84 /2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

IndiaCode

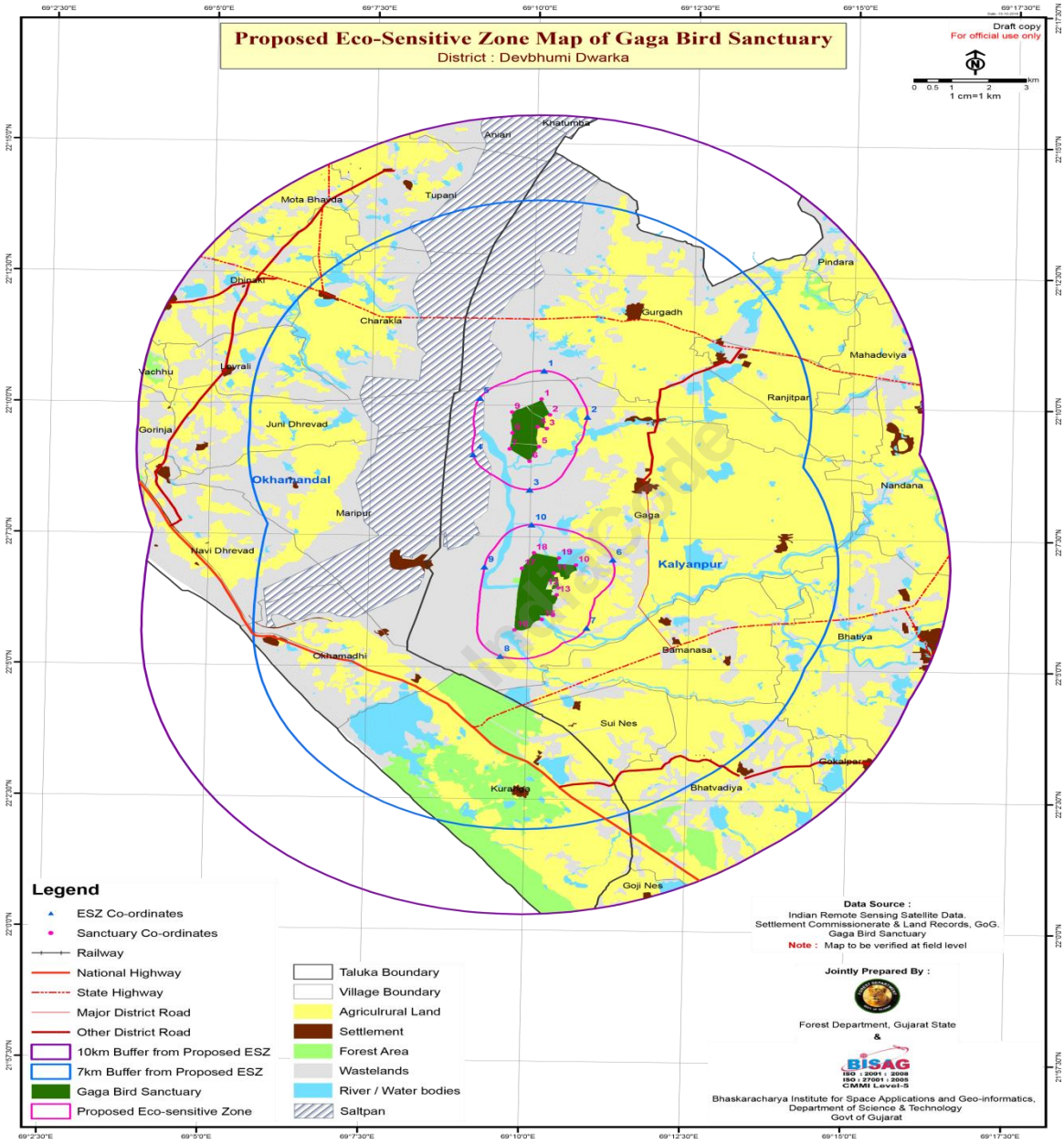
ANNEXURE- I-A

MAP OF GAGA SANCTUARY ALONG WITH ITS ECO-SENSITIVE ZONE



ANNEXURE- I-B

MAP OF GAGA SANCTUARY WITH LANDUSE FEATEARES



ANNEXURE-II

A. THE GEO-COORDINATES OF GAGA GIB SANCTUARY, GUJARAT

Geo- co-ordinates Gaga GIB Sanctuary Boundary		
Sr. No	*Latitude*	*Longitude*
S 1	22° 10' 7.916" N	69° 10' 8.807" E
S 2	22° 8' 56.584" N	69° 9' 58.794" E
S 3	22° 9' 43.306" N	69° 9' 40.472" E 4
S 4	22° 7' 11.635" N	69° 10' 4.438" E
S 5	22° 6' 58.176" N	69° 10' 43.993" E
S 6	22° 6' 23.306" N	69° 10' 27.254" E
S 7	22° 5' 55.519" N	69° 10' 13.057" E
S 8	22° 5' 45.831" N	69° 10' 2.417" E
S 9	22° 5' 43.446" N	69° 9' 47.789" E
S 10	22° 6' 42.657" N	69° 9' 52.023" E

B. THE GEO-COORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GAGA GIB SANCTUARY

THE GEO-COORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GAGA GIB SANCTUARY		
Sr. No	***Latitude***	***Longitude***
E 1	22° 10' 36.018" N	69° 9' 51.306" E
E 2	22° 10' 1.692" N	69° 10' 49.519" E
E 3	22° 9' 15.281" N	69° 10' 42.751" E
E 4	22° 8' 24.239" N	69° 9' 55.432" E
E 5	22° 9' 26.125" N	69° 9' 6.688" E
E 6	22° 7' 43.487" N	69° 9' 57.528" E
E 7	22° 7' 29.655" N	69° 10' 52.585" E
E 8	22° 6' 17.352" N	69° 11' 2.041" E
E 9	22° 5' 11.069" N	69° 9' 44.800" E
E 10	22° 6' 31.034" N	69° 9' 15.349" E

IndiaCode

ANNEXURE-III

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF GAGA GIB SANCTUARY, GUJARAT

S. N.	***village***	***Latitude***	***Longitude***
1.	**Gurgadh**	22° 11'44.85" N	69° 11'31.51" E
2.	**Gaga**	22° 8' 27.422" N	69° 11' 42.53" E

Annexure –IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
 Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006
 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.06.13 16:13:17 +05'30'